रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1574] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 17, 2019/वैशाख 27, 1941
No. 1574] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 17, 2019/VAISAKHA 27, 1941

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
(कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग)
आदेश

नई दिल्ली, 16 मई, 2019

का.आ.1766(अ).—केंद्रीय सरकार की, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात्, यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, तो वह भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :--

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम भारतीय मानक ब्यूरो (बोरिक अम्ल के लिए मानक) आदेश, 2019 है।

(2) यह आदेश राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. **मानक चिह्न का अनिवार्य उपयोग-** सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट माल या वस्तुएं, उसके उक्त सारणी के स्तंभ (2) में दिए गए तत्स्थानी भारतीय मानक के अनुरूप होंगे और उन पर भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता निर्धारण) विनियम, 2018 के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी अनुज्ञप्ति के अधीन मानक चिह्न लगा होगा :

परंतु इस आदेश की कोई बात विनिर्दिष्ट माल या वस्तुओं से संबंधित खंड में लागू नहीं होगी , जो निर्यात के लिए बनाई गई है और जो विनिर्देश देश के द्वारा आवश्यक निर्यात की पुष्टि करते हों।

3. **प्रमाणीकरण और प्रवर्तन** – भारतीय मानक ब्यूरो खंड 2 के अधीन विनिर्दिष्ट मानकों के प्रवर्तन के लिए प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण होगा और वह राज्य सरकार के उद्योग विभाग में जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक के रैंक से अन्यून किसी अधिकारी को इस आदेश के प्रयोजन के लिए प्रवर्तन प्राधिकारी पदाभिहित कर सकेगा।

अनुसूची
बोरिक अम्ल के लिए मानक

माल या वस्तुएं	भारतीय मानक	भारतीय मानक शीर्षक
(1)	(2)	(3)
बोरिक अम्ल	आई-एस 10116:2015	बोरिक अम्ल-विनिर्देश

[फा. सं. 13028/02/2018-पीपी-I]

अतीश चंद्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पण- इस अनुसूची के उद्देश्य से, भारतीय मानक का नवीनतम संस्करण, उसके संशोधन सहित, समय-समय पर भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अधिसूचित, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा समय-समय पर अधिसूचित तारीख से लागू होगा।

2500 GI/2019

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture, Co-operation and Farmers Welfare)

ORDER

New Delhi, the 16th May, 2019

S.O. 1766 (E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary and expedient so to do in the public interest hereby makes the following Order, namely: -

1. Short title and commencement. - (1) This Order may be called the Bureau of Indian Standards (Standards for Boric Acid) Order, 2019.

(2) This Order shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. Compulsory use of Standard Mark. –Goods or articles specified in column (1) of the Schedule shall conform to the corresponding Indian Standard given in column (2) thereof and shall bear the Standard Mark under a licence issued by the Bureau of Indian Standards in accordance with the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulation, 2018:

Provided that nothing in this Order shall apply in relation to goods or articles specified in this clause which is meant for export and which conforms to the specification required by the country of its export.

3. Certification and enforcement.- The Bureau of Indian Standards shall be the certifying and enforcing authority for the enforcement of the standards specified under clause 2, and may designate an officer not below the rank of the General Manager of the District Industries Center in the Department of Industries of the State Government to be the enforcing authority for the purpose of this Order.

IndiaCode

SCHEDULE

Standards for Boric Acid

Goods or articles	Indian Standard	Title of Indian Standard
(1)	(2)	(3)
Boric Acid	IS 10116:2015	Boric Acid -Specification

[F. No. 13028/02/2018-PP-I]

ATISH CHANDRA, Jt. Secy.

Explanation. - For the purposes of this Schedule, the latest version of the Indian Standards, including the amendments thereof, as notified by the Bureau of Indian Standards from time to time, shall apply from the date as notified by the Bureau of Indian Standards.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2019.05.20 18:40:34 +05'30'